बलजीत सिंह **बनाम** राजस्थान सरकार आदि

अन्तर्गत धारा 188 आरटीए नम्बर 313 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/448

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2025	वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि राजस्व ग्राम 9 एफ ए, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 63, 63/2 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 बलदेव सिंह के नाम दर्ज 1.802 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 2 बलदेव सिंह राजस्व ग्राम 9 एफ ए, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 63, 63/2 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से 1.802 हैक्टेयर भूमि का अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाता है। तो प्रतिवादी संख्या 2 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत स्थाई व्यादेश आशिंक स्वीकार किया जाकर स्थायी व्यादेश बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 9 एफ ए, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 63, 63/2 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से वादी बलजीत सिंह के नाम दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

बलजीत सिंह बनाम राजस्थान सरकार आदि

धारा अन्तर्गत 188 आरटीए मुकदमा नम्बर **313/2023**

निर्णय दिनांक :- 29.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार जागिंड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:- वादी वादपत्र अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 आशिंक स्वीकार किया जाकर स्थायी व्यादेश बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 9 एफ ए, पटवार हल्का 9 एफ ए माझीवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 58/59 के मुरब्बा नम्बर 6, 7, 63, 63/2 की कुल 9.677 हैक्टेयर भूमि में से वादी बलजीत सिंह के नाम दर्ज 1.518 हैक्टेयर भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

आज दिनांक 29.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/ 2025/739

दिनांक: 29.09.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)